कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व विविध संख्या – 54/2021

तारीख दायरा – 14/10/2021

प्रार्थी :–

1. परबत सिंह उर्फ पर्वतसिंह पुत्र देवीसिंह जी जाति राजपूत निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

1. भूमिधारी जरिये राजस्थान सरकार तहसीलदार देसूरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री फिरोजखान शेख अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री कैलाश ईनाणिया तहसीलदार देसूरी पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 04/01/2022

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot

Date: 2022.04.19 15:59:03 IST

Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम दे[illegible] की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076, नक्शाट्रेस, नजरी नक्शा, जमाबंदी सम्वत 2073 से 207[illegible] [illegible] संख्या नया 1 [illegible] कर प्रार्थी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम देसूरी के खसरा नं. 1682 रकबा 1.3600 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि के आने जाने के लिये (रास्ते की भूमि) 30 फीट चौडा रास्ता हेतु नक्शे मे लाल स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1683 रकबा 0.9100 हेक्टर किस्म बारानी दोयम मे से दक्षिण दिशा के किनारे किनारे मांग की गई है।

3. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक /कोर्ट / 2021/ 386 दिनांक 14.10 2021 को लिखा गया।

4. अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक / राजस्व / 2021/ 1045 दिनांक 30 12.2021 के जरिये भू.अभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जाच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी श्री परबत सिंह उर्फ पर्वतसिंह की ग्राम देसूरी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 1682 रकबा 1.36 हेक्टर किस्म बारानी दोयम पर पहुंचने के लिये सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 1683 रकबा 0.91 हेक्टर किस्म बारानी दोयम कैसे 30 फीट चौडा रास्ते की मांग अनुसार इस सिवायचक भूमि के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है. यह रास्ता मुख्य रोड से नजदीक रहेगा।

2. प्रस्तावित रास्ते का मौका देखने पर खसरा नम्बर 1690 रकबा 1.17 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ते से लगते हुए राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 1683 पडत पडी है।3

3. प्रस्तावित रास्ता 30 फीट चौडाई के लिये मौके पर खसरा नम्बर 1683 की दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम की ओर 250 फीट दक्षिण माठ की तरफ 30 फीट की चौडाई से रास्ता नजरी नक्शे मे दर्शित अनुसार दिया जा सकता है।

4. उपरोक्त नाप के अनुसार रास्ता दिये जाने से 7500 वर्ग फीट अर्थात् 697 वर्ग मीटर भूमि राजकीय सिवायचक खसरा नं. 1683 मे से प्रभावित होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:59:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

5. प्रस्तावित रास्ते मे कुछ छोटे नीम के पेड अलावा कोई कीमती पेड खडा नही है। रास्ता दिये जाने पर पेडो को किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नही है।

6. प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नं. 1683 किस्म बारानी दोयम की वर्तमान D.L.C कीमत रूपये 457290/- प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रस्तावित रास्ता 7500 वर्ग फीट अर्थात् 697 वर्ग मीटर की राशि रूपये 31875/- होते है। जिसकी डबल राशि 63750/-रू. बनते है।

तहसीलदार देसूरी द्वारा रास्ते की प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा, मौका फर्द एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1682 मे आवागमन हेतु रास्ता रेकर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थी को खातेदारी भूमि खसरा नं. 1682 मे आने जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार खसरा नं. 1690 गैर मुमकिन रास्ते से लगते हुए राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 1683 की दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम की ओर 250 फीट, दक्षिण माठ की तरफ 30 फीट चौडाई मे कुल 7500 वर्ग फीट अर्थात् 697 वर्ग मीटर का रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 63750/- रूपये का अनुदान भुगतान राजकोष मे जमा कराना होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी 30 फीट चौडे रास्ते के परिपेक्ष्य मे D.L.C की दर अनुरूप प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 63750/- प्रार्थी द्वारा जरिये चालान राजकोष मे जमा कराये जावे। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम देसूरी के खसरा नं. 1682 मे आने जाने हेतु खसरा नं. 1690 गैर मुमकिन रास्ते से लगते हुए सिवायचक भूमि खसरा नं. 1683 की दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम की ओर 250 फीट, दक्षिण माठ की तरफ 30 फीट चौडाई मे कुल 7500 वर्ग फीट अर्थात् 697 वर्ग मीटर रास्ता दिया जाकर एवं राजकोष मे जरिये चालान राशि जमा होने के बाद रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया जावे।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 04/01/2022 को [illegible] लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:59:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)